

यूजीसी की सख्ती थीसिस चोरी पर रद्द होगा नामांकन, जाएगी नौकरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. यूजीसी ने चोरी कर थीसिस बनाने वालों के खिलाफ एक ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भेजा है। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित इस ड्राफ्ट के अनुसार छात्रों का नामांकन तक रद्द किया जा सकता है और किसी शिक्षक की नौकरी तक जा सकती है।

यूजीसी के इस ड्राफ्ट में शोधार्थियों को महज 10 फीसदी तक ही कंटेंट कॉपी करने की छूट दी गई है। 10 फीसदी से लेकर 40 फीसदी तक कंटेंट कॉपी होने



University Grants Commission

पर उन्हें छह माह के भीतर संशोधित थीसिस जमा करनी होगी। अगर 40 से 60 फीसदी तक कंटेंट कॉपी की हुई है तो उन्हें एक वर्ष तक संशोधित थीसिस भी जमा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है और इससे भी अधिक कॉपी हुआ तो उनका नामांकन ही रद्द कर दिया जाएगा।